

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

इकबाल

वनाम

बद्रीलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 69/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27.2.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>इकबाल</u></p> <p>पिता श्री <u>अमरचंद्र जी रेगर</u></p> <p>निवासी- <u>सिरडी (सैमलपुरा)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सिरडी (सैमलपुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>106, 108, 110</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> कुल रकबा <u>0.9500</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सिरडी (सैमलपुरा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>106, 108, 110</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकबा <u>0.9500</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>पाँच सौ</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>